कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–2/115–940–A/ 1318 रायपुर, दिनांक 02/06/2023

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
सुकमा वन मंडल, सुकमा
छत्तीसगढ़

विषयः– **सुकमा जिले के सुकमा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under network strengthening and providing connecting to Rural Areas in Sukma District of Chhatisgarh हेतु क्षेत्रफल 3.857 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव।**
– **पंजीयन कमांक – FP/CG/OFC/155722/2022**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक /व.त.अ/1190 दिनांक 16.05.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सुकमा जिले के सुकमा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा रकबा 3.857 हे. वन भूमि में OFC लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का नोडल कार्यालय में परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाई गई है जो निम्नानुसार हैः–

ऑनलाईन त्रुटियांः–

1. Form A Part-II के कालम 5 में वन मंडलाधिकारी कार्यालय द्वारा proposed area fall in to working plan circle SCI, RWC, PWC में सम्मिलित है, लेख किया गया है जिसमें 1.215 हे. राजस्व वन भूमि भी सम्मिलित है। स्थिति स्पष्ट करे।
2. Form A Part-II के कालम 16 में भाग–2 अपलोड नहीं है जिसे अपलोड करे।
3. कलेक्टर कार्यालय द्वारा FRA Certificate एवं राजस्व वन भूमि का NOC upload नहीं किया गया है। जानकारी अपलोड करावे।

ऑफलाईन त्रुटियां :–

1. प्रस्ताव के कंडिका कमांक 03 वन क्षेत्र का विवरण के पृष्ठ क्र. 12 से 17 में प्रकरण में आवेदित भूमि आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के विवरण को छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक एफ–5–05/2022/10–2 दिनांक 29.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करे (छायाप्रति संलग्न)।
2. प्रस्ताव के कंडिका कमांक 07 पृ.क्र. 36 से 44 में व्यवस्थित फार्म – IV को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। फार्म – IV में वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर भी लिया जाना होता है। वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर कराया जावे।
3. प्रस्ताव के कंडिका कमांक 08 पृ.क्र. 45 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप में केवल आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जिसमें वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर भी आवश्यक है। वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर कराया जावे।
4. प्रस्ताव के कंडिका कमांक 09 के पृ.क्र. 46 न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र में वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर भी लिया जाना होता है किन्तु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र पर वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जावे।
5. प्रपत्र–3 : वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृ.क्र. 58 से 63 के बिन्दु कमांक 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति में आवेदित वन भूमि के विवरण को छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक एफ–5–05/2022/10–2 दिनांक 29.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करे।

6. प्रस्ताव के कंडिका कमांक 02 से 21 में सुकमा जिले के सुकमा वन मंडल अंतर्गत को दो बार लिखा गया है जिसमें सुधार किया जावे।

अतः संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूलतः वापिस किया जाता है। उपरोक्तानुसार ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करे।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः 03 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/ विविध–2/115–940–A/ 1319 रायपुर, दिनांक 02/06/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.) ।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

- 82 -OFC Line Letter 2023.doc